-: न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0):-

(समक्ष :- अजय प्रकाश मिश्र)

Registration No-17/2026
Filling No.1649/2026
CNR No. MP4101-001936-2026
Filling Date- 06-03-2026

दिनेश पिता रामसिंह जायसवाल, आयु 44 वर्ष,
निवासी-49/2, मारवाड़ कोठी, हटेसिंह गोयल कॉलोनी,
मील रोड, देवास (म.प्र.)

.....**पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी**

विरूद्ध

राजेश पिता बाबूलाल चौहान (माली), आयु 42 वर्ष
निवासी- 230, लाला लाजपतराय मार्ग, देवास (म.प्र.)
दुकान का पता- बाबा नाश्ता पॉईन्ट तीन बत्ती चौराहा,
रतन पोहे वाले के पास, देवास (म.प्र.)

.....**गैरपुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त**

न्यायालय- श्रीमती दीक्षा मौर्य, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिला देवास (म.प्र.) के न्यायालय के यू.एन.सी.आर. प्रकरण क्र. 499/2025 में पारित आदेश दिनांक12/12/2025 से उद्भूत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका।

''आ दे श''

(आज दिनांक 31/03/2026 को पारित किया गया)

1. यह दांडिक पुनरीक्षण याचिका, पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी दिनेश जायसवाल की ओर से धारा 438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (जिसे एतद् पश्चात् सहिंता लिखा जावेगा) के अंतर्गत, श्रीमती दीक्षा मौर्य, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिला देवास, म.प्र. के न्यायालय के यू.एन.सी.आर प्रकरण क्रमांक 499/2025 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विदुषी विचारण न्यायालय ने

पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी की ओर से परिवाद पर विहित न्याय शुल्क अदा न करने के कारण परिवाद-पत्र न्यायालय शुल्क के अभाव में निरस्त कर दिया है।

2. प्रकरण के तथ्य जिनसे इस पुनरीक्षण याचिका का उद्गम हुआ, कुछ इस प्रकार है कि परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता ने विचारण न्यायालय में दिनांक 02.08.2024 को धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत एक परिवाद पत्र अभियुक्त/गैर-पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसमें चेक राशि 1,80,000/- रूपये की होना बताया गया। उक्त परिवाद प्रस्तुत करते समय परिवादी द्वारा न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया, जिस पर से परिवादी की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर न्याय शुल्क अदायगी हेतु समय चाहा गया और विचारण न्यायालय द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियों पर न्याय शुल्क अदायगी हेतु समय दिया गया, परंतु अंतिम चेतावनी के बाद भी दिनांक 12.12.2025 को जब परिवादी द्वारा न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया, तब विचारण न्यायालय ने न्याय शुल्क के अभाव में परिवाद पत्र को निरस्त कर दिया।

3. विचारण न्यायालय के इसी उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यों के पूर्णतः प्रतिकूल है। पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी अपने व्यापार के संबंध में व्यस्त होने के कारण अपने अभिभाषक से संपर्क नहीं कर पाया, जिसके कारण नियत दिनांक पर न्याय शुल्क की राशि जमा नहीं कर पाया था। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा न्याय शुल्क अदा करने में जान-बूझकर कोई त्रुटि नहीं की गई है और सद्भाविक भूल के कारण न्याय शुल्क समय से अदा नहीं किया जा सका, इसलिए विचारण न्यायालय ने परिवादी का परिवाद निरस्त करके गंभीर त्रुटि की है। उपरोक्त कारण से पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश को अपास्त किये जाने तथा परिवादी को न्याय शुल्क अदा करने का अवसर दिये जाने का निवेदन किया गया है।

4. प्रत्यर्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता श्री पवन मालवीय ने याचिका में उठाए गए तथ्यों का विरोध इस आधार पर किया है कि परिवादी को न्याय शुल्क अदा किये जाने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को प्रतिपरीक्षण हेतु 7 अवसर दिए जाने के बाद भी परिवादी ने न्यायशुल्क अदा नहीं किया है, इसलिए अब परिवादी को न्याय शुल्क अदा करने के लिए कोई अवसर दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा। विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है, इसलिए उक्त याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. उपरोक्त विद्यमान परिस्थितियों में यह तथ्य विचारणीय है कि :-

> ''क्या विचारण न्यायालय ने परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा न्याय शुल्क अदा न करने के कारण परिवाद पत्र को निरस्त करके एवं परिवादी को न्याय शुल्क अदा करने के लिए आगे कोई अवसर न देकर ऐसी त्रुटि की है, जिसके कारण आलोच्य आदेश अशुद्ध, अवैध एवं अनियमित होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है'' ?

-: <u>निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण</u> :-

6. विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में परिवाद पत्र दिनांक 02.08.2024 को प्रस्तुत किया गया था और उस दिन परिवादी के द्वारा न्याय शुल्क अदा करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर समय की मांग की गई, जिसे विचारण न्यायालय ने प्रदान करते हुए दिनांक 07.10.2024 की तिथि नियत की थी और उसके पश्चात् परिवादी विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुआ तथा परिवादी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 07.10.2024, 16.01.2025, 20.06.2025, 19.08.2025, 23.09.2025, 13.11.2025 को उपस्थित होकर न्याय शुल्क की

अदायगी हेतु समय की मांग की जाती रही। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2025, 23.09.2025 तथा 13.11.2025 की तिथियों पर अंतिम अवसर की चेतावनी के साथ न्याय शुल्क अदायगी हेतु परिवादी को समय दिया गया और तीनों ही तिथियों के आदेश पत्रावली में विचारण न्यायालय द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया कि आगामी तिथि पर परिवादी द्वारा न्याय शुल्क अदा न करने की दशा में परिवाद पत्र खारिज किये जाने पर विचार किया जा सकेगा, परंतु अंतिम बार दिनांक 12.12.2025 की तिथि नियत होने पर उस दिन परिवादी के अधिवक्ता द्वारा समय चाहे जाने पर भी विचारण न्यायालय द्वारा कोई समय नहीं दिया गया और परिवाद पत्र को न्याय शुल्क के अभाव में निरस्त कर दिया गया।

7. निश्चित रूप से विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि परिवादी को न्याय शुल्क अदायगी हेतु कुल 07 अवसर प्रदाय किये गये थे, परंतु दिनांक 12.12.2025 की आदेश पत्रावली के पहले की आदेश पत्रावलियों से यह प्रकट नहीं होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी को स्पष्ट चेतावनी के साथ अवसर दिया गया हो, निश्चित रूप से विचारण न्यायालय को आदेश पत्रावली के माध्यम से परिवादी अधिवक्ता को यह अवगत करा देना चाहिए कि आगामी तिथि अर्थात् दिनांक 12.12.2025 को किसी भी दशा में न्याय शुल्क अदायगी हेतु आगे कोई अवसर प्रदाय नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे मामलों में आदेश पत्रावली में पक्षकार अथवा उसके अधिवक्ता का हस्ताक्षर लिया जाना चाहिए, जिससे कि न्यायालय को इस बात की संतुष्टि हो सके कि आदेश पत्रावली में जो चेतावनी दी गई है, उसकी जानकारी संबंधित पक्षकार को हो गई। विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट नहीं होता है कि दिनांक 13.11.2025 में परिवादी को दिये गये निर्देश की जानकारी उसके अधिवक्ता को हुई है।

8. निश्चित रूप से इस मामले में 1,80,000/- रूपये के चेक का अनादरण होना बताया गया है और प्रकरण के संभावित अभियुक्त को केवल इस आधार पर दोषमुक्त होने का अवसर दिया जाना न्यायोचित एवं विधिसंगत नहीं होगा कि उक्त प्रकरण के परिवादी द्वारा समय से न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया। निश्चित रूप से कई मामलों में अभियुक्त द्वारा न्यायालय के बाहर परिवादी को पैसे देने का नाटक किया जाता है और अंत में पैसे न देकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाती हैं जो परिवादी के लिए प्रकरण के प्रतिकूल हो जाता है। उपरोक्त कारण से इस मामले में परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता को न्याय शुल्क अदा करने के लिए एक अवसर परिव्यय पर दिया जाना उचित होगा, जिससे कि पक्षकारों के मध्य समुचित न्याय हो सके।

9. उपरोक्त कारणों से यह पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश इस शर्त पर अपास्त किया जाता है कि परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता 2,000/- रूपये की परिव्यय राशि आज दिनांक से 10 दिवस के अंदर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास के समक्ष जमा करे और 2,000/- रूपये की उक्त रसीद के साथ परिवादी विचारण न्यायालय में यदि दिनांक 08.04.2026 को अथवा उसके पूर्व कभी भी उपस्थित होकर संपूर्ण न्याय शुल्क अदा करे तो विचारण न्यायालय उक्त परिवाद पत्र को विधि अनुसार सुनवाई में लेकर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही विधि अनुसार करे।

10. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि परिव्यय की राशि अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय में परिवादी का प्रतिपरीक्षण किए जाने के पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास के समक्ष जमा किया जावेगा और उक्त जमा की रसीद अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा।

11. आदेश की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलंब लौटाया जाए।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

AJAY PRAKASH MISHRA

Digitally signed by AJAY PRAKASH MISHRA
Date: 2026.03.31 17:13:06 +0530

अजय प्रकाश मिश्र
सत्र न्यायाधीश, देवास म0प्र0

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

अजय प्रकाश मिश्र
सत्र न्यायाधीश, देवास म0प्र0